




भारत सरकार

भारत का विधि आयोग

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और
अन्य सहबद्ध विधियों के संशोधन का प्रस्ताव

रिपोर्ट सं. 205

फरवरी, 2008





**भारत का विधि आयोग
(रिपोर्ट सं. 205)**

**बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और
अन्य सहबद्ध विधियों के संशोधन का प्रस्ताव**

डा. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन, अध्यक्ष, भारत का विधि
आयोग द्वारा 5 फरवरी, 2008 को केन्द्रीय मंत्री, विधि और
न्याय, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत



18वें विधि आयोग का गठन 1 सितम्बर, 2006 से भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के तारीख 16 अक्टूबर, 2006 के आदेश सं. ए.45012/1/2006-प्रशा.III (एल ए) द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्ण कालिक सदस्य और छह अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय डा. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन्, अध्यक्ष

सदस्य सचिव

डा. डी. पी. शर्मा

पूर्ण कालिक सदस्य

प्रो. (डा.) ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

न्यायमूर्ति आई. वेंकटनायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. के. एन. चन्द्रशेखरन पिल्लई

डा. श्रीमती देविन्दर कुमारी रहेजा

प्रो. श्रीमती लक्ष्मी जम्भोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

डा. डी. पी. शर्मा, सदस्य सचिव, विधि आयोग के मुख्य कार्यकारी हैं ।

विधि आयोग, आई. एल. आई. भवन,

द्वितीय तल, भगवान दास रोड,

नई दिल्ली-110001.

विधि आयोग कर्मचारिवृन्द

अनुसंधान कर्मचारी

सुश्री पवन शर्मा	:	अपर सरकारी काउन्सेल
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर सरकारी काउन्सेल
श्री श्रवण कुमार	:	उप सरकारी काउन्सेल
श्री ए. के. उपाध्याय	:	सहायक सरकारी काउन्सेल
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक सरकारी काउन्सेल
श्री सी. राधा कृष्ण	:	सहायक सरकारी काउन्सेल

प्रशासनिक कर्मचारी

श्री डी. चौधरी	:	अवर सचिव
श्री एस. के. बासु	:	अनुभाग अधिकारी
श्री एन. एस. नागर	:	पुस्तकालय परामर्शी

इस रिपोर्ट का पाठ <http://lawcommissionofindia.nic.in> पर
इन्टरनेट पर उपलब्ध है ।

© सरकारी कापीराइट 2008
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
नई दिल्ली - 110001
भारत

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिह्न को छोड़कर) किसी प्ररूप या
माध्यम में निःशुल्क पुनरुत्पादित किया जा सकता है बशर्ते इसका ठीक-
ठीक पुनरुत्पादन किया जाए और प्रयोग भ्रामक संदर्भ में न किया जाए ।
सामग्री को सरकारी कापीराइट और विनिर्दिष्ट दस्तावेज़ के शीर्षक के रूप
में अभिस्वीकृत किया जाए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित किसी पूछताछ हेतु सदस्य-सचिव, भारत का विधि
आयोग, द्वितीय तल, आई. एल. आई. भवन, भगवान दास रोड, नई
दिल्ली-110001, भारत, फ़ैक्स - 91-11-23388870 या ई मेल
dr.dpsharma@nic.in को संबोधित करें ।



डा. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन
(भूतपूर्व न्यायमूर्ति, भारत का
उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

आई.एल.आई. भवन(द्वितीय तल)
भगवान दास रोड
नई दिल्ली - 110001
दूरभाष- 91-11-23384475
फैक्स - 91-23383564

डी.ओ.सं. 6(3)/117/2006-वि.आ(एल.एस.) 5 फरवरी, 2008

प्रिय डा. भारद्वाज जी,

**विषय: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य सहबद्ध
विधियों के संशोधन का प्रस्ताव**

मैं “बाल विवाह” पर विधि आयोग की 205वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ।

उच्चतम न्यायालय ने 2006 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 81 में बाल विवाह और विभिन्न आयु जिस पर किसी व्यक्ति को विभिन्न विधियों में बालक के रूप में परिभाषित किया गया है, विषयक कतिपय विधिक मुद्दों पर विधि आयोग की सहायता का अनुरोध किया। तथापि, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान बाल विवाह के शिकार व्यक्तियों और इन विवाहों से उत्पन्न बच्चों को कतिपय महत्वपूर्ण अधिकार देते हुए बाल विवाह प्रतिषेध

निवास: 1, जनपथ, नई दिल्ली, दूरभाष 91-11-3019465, 23793488,
23792745, ई-मेल : chlc@sb.nic.in

अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया गया। आयोग ने इन परिवर्तनों पर विचार किया और आगे यह परीक्षा की कि क्या नए अधिनियम में बाल दुरुपयोग, स्वास्थ्य और मानव अधिकार, जो बाल विवाह के अपरिहार्य परिणाम हैं, विषयक सभी बातों पर ध्यान दिया गया है। इसके पश्चात्, आयोग ने दिसम्बर, 2007 में उच्चतम न्यायालय को अपने सुझाव अग्रेषित किए।

यह रिपोर्ट छह अध्यायों में विभाजित है। प्रस्तावना के पश्चात्, दूसरे अध्याय में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार किया गया है। अध्याय-3 में संपूर्ण देश में बाल विवाह की घटना और इसके संभाव्य हेतुकों पर उपलब्ध आंकड़ों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। अध्याय में कुछ विस्तार से बाल विवाह के परिणाम पर हाल ही के अध्ययन के बारे में विचार किया गया है। इसमें उल्लेख है कि बाल विवाह, विशेषकर लड़की जो अधिक नाजुक भागीदार है, के वृद्धि और विकास को रोकता है। रिपोर्ट में इस तथ्य पर विचार किया गया है कि बाल विवाह के परिणामस्वरूप लड़कियां प्रायः शीघ्र गर्भवती हो जाती हैं और बालक जन्म और मातृत्व तथा शिशु मर्त्यता (माता और बालक दोनों) की जटिलताएं कमसिन गर्भवती लड़कियों के लिए बालक जन्म के दौरान आम बात है। इसमें आगे यह उल्लेख है कि बाल विवाह के परिणामस्वरूप घर में बाल श्रम पैदा होता है और कमसिन लड़कियों के पास बहुत कम निर्णय लेने की शक्तियां हैं। बाल विवाह लड़कियों को घरेलू हिंसा और यौन दुरुपयोग हेतु अधिक संवेदनशील

बनाता है। यह लड़की को शिक्षा प्राप्त करने के उसके अधिकार और स्वतंत्रता और गरिमा का जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित करता है।

रिपोर्ट में, विभिन्न देशों की बाल विवाह विषयक विधियों और अन्तरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं जैसे सीडा (महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद के उन्मूलन पर कन्वेंशन) जो बाल विवाह के उन्मूलन का अधिदेश देता है और सी आर सी (बालक के अधिकार पर कन्वेंशन) जैसी प्रसंविदा जो राज्यों को सभी प्रकार की हिंसा, दुरुपयोग और उपेक्षा से बच्चों का संरक्षण करने के लिए आबद्धकर बनाता है, पर विवेचना की गई है।

विवाह की आयु और मैथुन के लिए सहमति की आयु तथा ऐसे निर्णय जो वर्षों से बाल विवाह को कायम रखते हैं, के प्रति निर्देश से बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के परिवर्तनों पर ध्यान देने के पश्चात् रिपोर्ट में यह सिफारिश की जाती है कि लड़का और लड़की दोनों के लिए 18 वर्ष से कम आयु के बाल विवाह का प्रतिषेध किया जाए और यह कि 16 वर्ष से कम आयु के विवाह को शून्य बनाया जाए जबकि 16 और 18 के बीच की आयु के विवाह को शून्यकरणीय बनाया जाए। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कमसिन स्त्री और बच्चे निराश्रित न हो जाएं, रिपोर्ट यह सिफारिश करती है कि भरणपोषण और अभिरक्षा विषयक उपबंध शून्य और शून्यकरणीय दोनों प्रकार के विवाहों को लागू किया जाए। रिपोर्ट यह और सिफारिश करती है कि विवाह पर ध्यान दिए बिना सभी कमसिन लड़कियों के लिए मैथुन सहमति की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। अंततः, रिपोर्ट यह सिफारिश करती है कि विवाह का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाया जाए।

इस प्रकार इस रिपोर्ट का उद्देश्य ऐसी विधि का सुझाव देना है जो बाल विवाहों की बुराइयों को समूल नष्ट करेगी ।

मैं अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में सुश्री कीर्ति सिंह, अंशकालिक सदस्य और सुश्री पवन शर्मा, अपर सरकारी काउन्सेल द्वारा दिए गए व्यापक योगदान के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

सादर,

भवदीय,

ह/-

न्यायमूर्ति ए आर लक्ष्मणन

डा. एच. आर. भारद्वाज
माननीय विधि और न्याय मंत्री
शास्त्री भवन
नई दिल्ली -110001.

भारत का विधि आयोग

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और अन्य सहबद्ध विधियों के संशोधन का प्रस्ताव

विषय सूची

क्रम सं.	शीर्षक	पृष्ठ
1.	अध्याय 1 प्रस्तावना	1-4
2.	अध्याय 2 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएं	5-8
3.	अध्याय 3 बाल विवाह की व्याप्ति, हेतुक और परिणाम	9-21
4.	अध्याय 4 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और मानव अधिकार	22-31
5.	अध्याय 5 बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929; विधायी इतिहास, निर्णय और बाल विवाह तथा बालक की आयु के संशोधनों के लिए विभिन्न सिफारिशें	32-42
6.	अध्याय 6 निष्कर्ष और सिफारिशें	44-48
7.	ग्रंथ सूची	49-56



प्रस्तावना

भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2006 की रिट याचिका (आपराधिक) सं. 81 में विधि आयोग से बाल विवाह विषयक कतिपय मुद्दों पर उसे सहायता करने का अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने तारीख 27.3.2006 के अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि बालक को परिभाषित करते समय विभिन्न विधियां विभिन्न आयु विनिर्दष्ट करती हैं और इन विधानों में विभिन्न अन्तर्विरोध हैं।

रिट याचिका, जो दिल्ली राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा फाइल की गई है, में यह इंगित है कि जहां “बालक” शब्द को भारतीय वयस्कता अधिनियम और किशोरन्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में 18 वर्ष की आयु से कम के किसी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है वहीं बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष था। हिन्दू विवाह अधिनियम भी विवाह के लिए यही न्यूनतम आयु विहित करता है। रिट याचिका में आगे यह कथन है कि यद्यपि भारतीय दंड संहिता में “बालक” शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अधीन मैथुन हेतु लड़की की सहमति की आयु 16 वर्ष है जबकि विवाहित जोड़ों के लिए सहमति की आयु 15 वर्ष मानी गई है। याचिका के अनुसार शरीयत 15 वर्ष की आयु पर विवाह की अनुज्ञा देता है।

याचिका में आगे निम्नलिखित बातों को शिकायत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है :-

(क) हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 5 और 11 न्यायालय को इस आधार पर विवाह को शून्य घोषित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करती कि पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार कम आयु का है ।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 का अपवाद पति को बलात्संग के आरोप से छूट प्रदान करता है यदि उसकी पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं है । याचिका इसे उस बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के प्रत्यक्ष प्रतिकूल मानता है जिनके अधीन किसी प्रकार का बाल विवाह अनुज्ञात नहीं है । तथापि, याचिका में उल्लेख है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अधीन बाल विवाह अविधिमान्य नहीं है ।

अतः याचिका में यह सिफारिश की गई है कि एकरूपता और बालक दुरुपयोग के विरुद्ध बच्चों के संरक्षण की दृष्टि से सभी विधानों में बालक की एकसमान परिभाषा होनी चाहिए । इसमें यह तर्क है अनेक अनुप्रमाणित अन्तरराष्ट्रीय करारों और कई देशों की विधियों में विवाह के लिए विधिक न्यूनतम आयु 18 वर्ष है । इसमें यह तर्क है कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी विवाह शून्य होने चाहिए ।

इसमें आगे यह अनुरोध है कि भारत संघ को विवाह की आयु और मैथुन सहमति देने की न्यूनतम आयु विषयक विधियों को संशोधित करने का निदेश दिया जाए जिससे कि दोनों एक दूसरे के अनुसार हों । याचिका

में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अधीन स्पष्टीकरण के हटाने का अनुरोध किया गया है जहां वैवाहिक बलात्संग को तब तक बलात्संग नहीं माना जाता है जब तक पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम न हो ।

18 वर्ष से कम आयु के विवाहों को शून्य घोषित करने के कारणों में से एक कारण यह है कि बाल विवाह प्रायः बलात् विवाह होता है और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा कोई पूर्ण और ज्ञात सहमति नहीं दी जा सकती । बाल विवाह को भी बालक दुरुपयोग के सदृश कहा जाता है और कई लड़कियों के लिए यह बारंबार और असंरक्षित मैथुन क्रियाकलाप की शुरुआत है जिसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम जैसे रक्ताल्पता, मातृत्व, मर्त्यता, शिशु मर्त्यता हो सकती है जिसके परिणमस्वरूप एच. आई. वी./एड्स जैसे कतिपय रोग होते हैं । याचिका में यह इंगित है कि किशोर लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा की अधिक संभावना है और सामाजिक ताना-बाना सीमित है । बाल विवाह द्वारा शिक्षा के अधिकार और चहुंमुखी विकास के अधिकार जैसे किशोर लड़कियों के अधिकार का अतिक्रमण होता है ।

यह इंगित करना प्रासंगिक है कि रिट याचिका के फाइल किए जाने के पश्चात् बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को रूपान्तरित कर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया । यह ज्ञात तथ्य है कि बाल विवाह का विनिर्दिष्ट लिंग आयाम है और बाल विवाह के प्रतिकूल बातों का लड़की पर गहरा प्रभाव पड़ता है । हमें यह परीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या नया अधिनियम बालक दुरुपयोग,

स्वास्थ्य और मानव अधिकार जो बाल विवाह के अनिवार्य परिणाम हैं,
विषयक सभी पहलुओं पर ध्यान देता है ।

अध्याय - 2

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की मुख्य विशेषताएं

नया बालक विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 विधि में दूरगामी परिवर्तन लाता है जो इस प्रकार है :-

अधिनियम की धारा 3 में यह कहा गया है कि “बाल विवाह ऐसे विवाह बंधन में बंधने वाले पक्षकार, जो विवाह के समय बालक था, के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा।” यह बालक के वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर विवाह को शून्य घोषित करने लिए याचिका फाइल करने की अनुज्ञा देती है। तथापि, चूंकि लड़की 18 की आयु में और लड़का 21 की आयु में वयस्कता प्राप्त करता है इसलिए लड़की 20 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक और लड़का 23 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक याचिका फाइल कर सकता है।

- अधिनियम लड़की को विवाह बंधन में बंधने वाले पुरुष पक्षकार या उसके माता-पिता से उसके (लड़की) पुनर्विवाह तक भरण-पोषण और निवास की भी अनुज्ञा देता है।
- यह आगे विवाह से उत्पन्न किसी बाल अभिरक्षा के समुचित आदेश की अनुज्ञा देता है।

- बाल विवाह करने के सभी दण्डों को बढ़ाया गया है । 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष के लिए दण्ड बढ़ाकर 2 वर्ष तक कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों किया गया है ।
- इसी प्रकार का दंड किसी ऐसे व्यक्ति के लिए विहित है जो कोई बाल विवाह करता है, संपादित करता है, निदेश देता है या दुष्प्रेरित करता है ।
- इसी प्रकार का दण्ड किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी विहित है जो बाल विवाह अनुष्ठापित करता है जिसके अंतर्गत ऐसे विवाह का संवर्द्धन, अनुष्ठापित किया जाना अनुज्ञात करता है या विवाह को उपेक्षापूर्वक निवारण करने से असफल रहता है । परंतु कोई स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं हो सकती । अधिनियम सभी अपराधों को संज्ञेय और अजमानतीय भी बनाता है ।
- अधिनियम आगे एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश समेत बाल विवाह के प्रतिषेध हेतु आदेशों की अनुज्ञा देता है । इसमें यह भी उल्लिखित है कि किसी व्यादेश के अतिलंघन में अनुष्ठापित कोई बाल विवाह शून्य होगा ।

अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध कर बाल विवाह के प्रतिषेध पर बल देता है और इन अधिकारियों को बाल विवाह के अनुष्ठापन को रोकने और अभियोजित करने और मुद्दे पर जागरुकता पैदा करने की शक्तियां प्रदान करता है । तथापि, अपेक्षित वित्तीय आबंटन के बिना संभवतः ये अधिकारी नियुक्त नहीं

होंगे । अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सभी शक्तियां उसे देने के अलावा समुचित उपाय और न्यूनतम पुलिस बल का प्रयोग कर सामूहिक बाल विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने या निवारित करने की सभी शक्तियां देता है ।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए हमें यह परीक्षा करनी है कि क्या बाल विवाह विधि में आगे किसी संशोधन की आवश्यकता है । वर्तमान विधि में लिंग तटस्थ उपबंध के अधीन बाल विवाह को शून्यकरणीय करते समय पुरुष बालक को बलात् विवाह से बाहर निकलने का भी अधिकार प्रदान किया गया है । तथापि, विधि किसी विवाह को अविधिमान्य नहीं बनाता चाहे यह तब अनुष्ठापित किया जाए जब बालक अवयस्क या बाद में यौवनारम्भ पर या किशोरावस्था पर है । तथापि, आपराधिक विधि के अधीन भारतीय दंड संहिता की धारा 375, 15 वर्ष से कम आयु की लड़की से मैथुन क्रिया को अपराध बनाती है । अतः बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के बीच विरोध बना हुआ है । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि नए अधिनियम के पूर्व एक संसदीय स्थायी समिति ने बाल विवाह निवारण पर सरकारी विधेयक की परीक्षा की थी और सुझाव दिया था कि नए अधिनियम के पुरःस्थापन के पश्चात् अनुष्ठापित बाल विवाहों को आरंभतः शून्य बनाया जाए । स्थायी समिति ने इंगित किया कि अनुसंधान से साबित हुआ था कि लड़की को “शारीरिक पहलुओं और कम आयु में विवाह का

बोझ उठाने की असमर्थता के कारण अपूरणीय हानियां उठानी पड़ती हैं।”¹
अतः, अगले अध्याय में हम बाल विवाह की व्याप्ति, हेतुक और परिणामों की परीक्षा करेंगे।

¹ राज्य सभा बाल विवाह निवारण विधेयक, 2004 पर तेरहवीं रिपोर्ट, नई दिल्ली, नवम्बर, 2005, पैरा 10.4

अध्याय - 3

बाल विवाह की व्याप्ति, हेतुक और परिणाम

बाल विवाह भारत की एक काफी व्यापक सामाजिक बुराई बनी हुई है। 15-19 वर्ष की आयु की स्त्री पर वर्ष 1998 से 1999 के बीच कराए गए अध्ययन से पता चला कि 33.8% का हाल ही में विवाह हुआ या विवाहित हैं।² वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या खंड ने अभिलिखित किया कि 15-19 के बीच के 9.5% लड़के और 35.7% लड़कियां विवाहित थीं।³ इससे यह साबित हुआ कि लड़कियों का बाल विवाह अधिकांश मात्रा में था और इससे लिंग आयाम की समस्या उजागर हुई। उन्नतीस राज्यों में कराए गए 2005-2006 की राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन एफ एच एस-3) से यह पुष्टि हुई कि हाल ही में 20-24 वर्ष की आयु की 15% स्त्रियों का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में (58.5%) में शहरी क्षेत्रों (27.9%) से काफी अधिक था और आठ राज्यों में 50% से अधिक था।⁴ 20-24 वर्ष की आयु की स्त्री, जब 18 वर्ष की

² डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे, आंकड़ा नवम्बर, 2007 को यूनीसेफ आधारित वेबसाइट www.childinfo.org/areas/childmarriage/, से पुनः प्राप्त।

³ संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या खंड (2000), वर्ल्ड मैरिज पैटर्न, आर्थिक और समाज कार्यकलाप विभाग, वार्शिंगटन,

www.un.org/esa/population/publications/worldmarriage/worldmarriage.htm, वेबसाइट नवम्बर, 2007 को देखा गया।

⁴ 2005-2006 का राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण,

<http://www.nfhsindia.org/>

(अक्टूबर, 2007 को देखे गए इस वेबसाइट से इसके पश्चात् वर्णित तथ्य और आंकड़े पुनः प्राप्त किए गए।)

आयु में उनका विवाह हुआ था, की प्रतिशतता झारखंड में 61.2%, बिहार में 60.3%, राजस्थान में 57.1%, आंध्र प्रदेश में 54.7% और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में 53% थी । राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के निष्कर्षों से आगे यह पता चला कि 15-19 वर्ष की आयु की स्त्रियों में से 16% सर्वेक्षण के समय पहले ही माता बन चुकी थीं या गर्भवती थीं । यह भी पता चला कि आधी भारतीय स्त्रियों से अधिक का विवाह 20-49 आयु के पुरुषों के 16% की तुलना में 18 वर्ष की न्यूनतम विधिक आयु के पूर्व हुआ था जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु तक हुआ था । यद्यपि राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 में ऐसी लड़कियों का आंकड़ा एकत्रित नहीं किया गया जिनका विवाह 15 वर्ष से कम की आयु में हुआ था, भारत⁵ की 2001 की जनगणना से यह पता चला कि 15 वर्ष से कम आयु की 300,000 लड़कियों ने कम से कम एक बालक को जन्म दिया था । आगे 1993 में राजस्थान सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण से पता चला कि 56% लड़कियों को 15 वर्ष की आयु के पूर्व विवाह करने के लिए विवश किया गया और इनमें से 7% लड़कियों का विवाह उनकी 10 वर्ष की आयु के पूर्व हुआ था ।⁶ मध्य प्रदेश राज्य में 1998 में कराए गए दूसरे सर्वेक्षण से यह पता चला कि 10 और 14 वर्ष की आयु के बीच की 14 प्रतिशत लड़कियों का विवाह हो गया था ।⁷ राजस्थान जैसे राज्य में

⁵ भारत की जनगणना, 2001

<www.censusindia.gov.in/>, नवम्बर, 2007 को वेबसाइट देखा गया ।

⁶ यूनिसेफ वेबसाइट आन मेरिड एडोलेसेन्ट्स । यू.एन.एफ.पी.ए. 2004, बाल विवाह पक्षपोषण कार्यक्रम : बाल विवाह और शीघ्र विवाह तथ्यात्मक दृष्टि में उद्धृत ।

⁷ वही ।

बहुत कम उम्र के बच्चों का सामूहिक विवाह अखा तीज जैसे अवसरों पर होता है ।

राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के निष्कर्षों से राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 में 20-49 वर्ष की आयु की स्त्रियों के विवाह की मध्यमान आयु में 17.2 से 16.7⁸ की थोड़ी वृद्धि दिखती है । तथापि, यह आंकड़ा प्रकट नहीं करता कि 15 वर्ष की आयु के नीचे कितने विवाह हो रहे हैं । इसके अतिरिक्त भारत में 10-24 वर्ष (आर. जी. आई. 2001)⁹ की आयु समूह के लगभग 315 मिलियन लोग और 20-24 वर्ष आयु की 44.5% स्त्रियों का 18 वर्ष की आयु तक विवाहित हो जाते हैं और 25-29 वर्ष की आयु के 29.3% पुरुष 21 वर्ष की आयु तक विवाहित हो जाते हैं, सुधार बहुत नगण्य दिखता है ।

वर्ष 2006 में हिन्दुस्तान टाइम्स ने यह समाचार दिया कि महिला पर अन्तरराष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के अनुसार भारत की 57% लड़कियों का विवाह उनकी 18 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है ।¹⁰

बाल विवाह की घटना के कई कारण माने जा सकते हैं । इनमें से मुख्य कारण गरीबी और पैतृक मानकों पर आधारित संस्कृति परम्परा और मूल्य हैं । ये मानक इस पर ध्यान नहीं देते कि “वस्तुतः, बाल विवाह मानव अधिकारों का अतिक्रमण है और लड़कियों के विकास से समझौता है

⁸ 1998-99 का राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण

<www.nfhsindia.org/data/india/indfctsm.pdf>, वेबसाइट नवम्बर 2007 को देखा गया ।

⁹

¹⁰ दि हिन्दुस्तान टाइम्स दैनिक तारीख 29.8.2006

जिनका परिणाम प्रायः शीघ्र गर्भ धारण और सामाजिक एकाकीपन है थोड़ी शिक्षा और खराब व्यावसायिक प्रशिक्षण स्त्री जाति की गरीबी को बढ़ावा देता है ।

कमसिन विवाहित लड़कियों का यद्यपि प्रायः अदृश्य लेकिन एक अनोखा समूह है । गर्भधारण करने के दबाव के अधीन भारी मात्रा में घरेलू काम करना होता है और स्वयं बच्चा होने पर भी बच्चे पैदा करने के दायित्व के कारण विवाहित लड़कियों और बाल माताओं को निर्णय लेने की मजबूरी और अल्प जीवन विकल्पों से जूझना पड़ता है । लड़के भी बाल विवाह से प्रभावित होते हैं किन्तु यह विषय लड़कियों को भारी मात्रा में और अधिक गंभीरता से प्रभावित करता है । जहां कोई लड़की किसी पुरुष के साथ रहती है और उसके लिए देखभाल करने की भूमिका निभाती है वहीं प्रायः यह अनुमान लगाया जाता है कि वह एक प्रौढ़ स्त्री हो गयी है यद्यपि वह अभी 18 वर्ष की भी नहीं हुई है । ”¹¹

अवयस्क लड़की का विवाह प्रायः उसके परिवार की गरीबी और ऋणग्रस्तता के कारण होता है । दहेज अतिरिक्त कारण हो जाता है जिसका गरीब परिवारों पर और भारी प्रभाव पड़ता है । बड़ी लड़कियों के लिए अधिक दहेज मांग से बचने के लिए कमसिन दुल्हनों की सामान्य मांग भी यथाशीघ्र बाल लड़की का विवाह करना इन परिवारों के लिए एक प्रोत्साहन पैदा करता है ।

हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में लड़की को परकी श्रेपन (किसी व्यक्ति की सम्पत्ति) और भार समझा जाता है। ये विश्वास माता-पिता को लड़की का विवाह करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा करने से, वे वस्तुतः बालक (लड़की) की देखभाल करने के “भार” से स्वयं मुक्त हो जाते हैं। लड़कियों को उत्तरदायित्व समझा जाता है क्योंकि उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है जो परिवार की उत्पादकता में सहयोग दे सकें। दुर्भाग्यवश, पितृसत्तात्मक विचार इतना मजबूत हो गया है कि लड़कियों का निर्णय करने में कोई अधिकार नहीं होता। मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों में यह उल्लेख है कि ऐसा पिता या भाई जो अपनी ऐसी यौवनारंभ पुत्री या बहन का विवाह नहीं करता है, नरक में जाएगा या कहीं-कहीं बाल विवाह को न्यायोचित ठहराते हुए उद्धरण दिया गया है। बाल विवाह भी ऐसे माता-पिता के लिए आसान तरीका भी है जो यह चाहते हैं कि उनकी पुत्रियां उनकी आज्ञा माने और उनकी रूचि के व्यक्ति को अपना पति को स्वीकार करें।

एक धारणा यह भी है कि बाल विवाह अवांछित पुरुष आकर्षण या स्वच्छंद संभोग के विरुद्ध लड़कियों के लिए संरक्षण है। ऐसे समाज में जिसमें लड़कियों के कौमार्य और सतीत्व के पितृ सत्तात्मक मूल्यों पर अधिक महत्व दिया जाता है, लड़कियों का विवाह यथाशीघ्र किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक और सामाजिक रूप से लड़की का भविष्य सुरक्षित करना शीघ्र विवाह का कारण बताया गया है।¹²

समाज या समुदाय में विवाह का उपयोग विभिन्न परिवारों और यहां तक कि समुदायों के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को कायम रखने या मजबूत करने के लिए किया है। लड़की के परिवार के वित्तीय और सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए भी एक कमसिन लड़की किसी परिवार को दी जा सकती है।¹³

भारत में बाल विवाहों के अधिक प्रचलन के सूचीबद्ध अन्य कारणों में शिक्षा और ज्ञान की कमी, विधि में खामी और प्रशासन की ओर से संकल्प और कार्रवाई की कमी हैं।¹⁴

यथापूर्वोक्त, बाल विवाह बालक के अधिकारों का घोर अतिक्रमण है जो उसे (लड़की) शिक्षा प्राप्त करने और स्वतंत्र और गरिमामय जीवन बिताने के स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसरों और सुविधाओं से वंचित करता है। यह कमसिन लड़कियों की क्षमताओं, अवसरों और निर्णय करने की शक्तियों से वंचित करता है और उसके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के मार्ग में आड़े आता है।

नई दुलहनें शीघ्र मैथुन क्रियाकलाप और गर्भावस्था की अपनी अवस्थिति के कारण मैथुन और प्रजनक खराब स्वास्थ्य के जोखिम से

¹² चटर्जी, ज्योत्सना, नवम्बर, 2006 को नई दिल्ली में भारतीय सोशल फोरम पर प्रस्तुत बाल विवाह पर लेख

¹³ महिला पर अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, बाल विवाह पर सलाहकार नीति <www.icrw.org/docs/childmarriage0803.pdf>, नवम्बर, 2007 को देखा गया।

¹⁴ चटर्जी, ज्योत्सना, पूर्व टिप्पण 12.

जुझती हैं। राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 ने अभिलिखित किया था कि केवल 4% विवाहित लड़कियों का गौना हुआ था। इसमें आगे यह अभिलिखित किया गया था कि अधिकांश मामलों में विवाह और गौना के बीच अवधि घटकर लगभग एक वर्ष हो गई है। राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के आंकड़ों से यह दर्शित होता है कि प्रथा अब सीमित होकर 0.7% विवाहित लड़कियों तक रह गई है। नवयुवती गर्भवती लड़कियों के शिशु जन्म के दौरान जटिलताएं और मर्त्यता आम बात है। ऐसी लड़कियां जो गरीब पृष्ठभूमि से हैं और जिनका विवाह प्रायः कम आयु में हो जाता है, का स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं से थोड़ा या बिल्कुल पहुंच नहीं है। कमसिन गर्भावस्था और बाल वहन से सहबद्ध जोखिमों में पूर्व परिपक्व प्रसव पीड़ा का वर्धित जोखिम, प्रसव के दौरान जटिलताएं, कम वजन के बालक जन्म, और अधिक प्रत्याशा कि नवजात जीवित नहीं बचेगा, जोखिम शामिल है।¹⁵ रक्तस्राव, पूतिता, प्रिक्लेमिसिया/इक्लेमिसिया और बाधित प्रसव समेत जटिलताओं के कारण 15 वर्ष से कम आयु की कमसिन माताओं के मरने की संभावना 20 वर्ष से अधिक आयु वाली माताओं की तुलना में पांच गुना ज्यादा है।¹⁶ यह आकलन लगाया गया है कि किशोर लड़कियों में मातृत्व मर्त्यता प्रौढ़ स्त्रियों की तुलना में दो से पांच गुना अधिक है।¹⁷

¹⁵ ब्लैक, मैगी, शीघ्र विवाह, बाल पति-पत्नी, यूनिसेफ, इनोसेंटी रिसर्च सेंटर, डाइजैस्ट संख्या 7 (2001), पृष्ठ 10.

¹⁶ मैन्सच, बारबरा एस., जुडिथ ब्रूस एण्ड मार्ग्रेट एस. ग्रीन, दि अनचार्टेड पैसेज : गर्ल्स एडोलोसेन्स इन दि डेवेलपिंग वर्ल्ड, दि पापुलेशन कौंसिल (1998), न्यूयार्क

¹⁷ सेथुरमण, कविता एण्ड नता दवारी, दि नेकसेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विद मालन्यूट्रिशन : एन इन्ट्रोडक्शन, इकानोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, जिल्द XLII संख्या 44 नवम्बर 3-9, 2007, पृष्ठ 49.

नवयुवती स्त्रियां मातृत्व रुग्णता का अधिक जोखिम भी उठाती हैं।¹⁸ यह पाया गया है कि “ऐसी प्रत्येक स्त्री, जो शिशु जन्म के समय मरती है, से अधिक क्षतियों, संक्रमणों और निर्योग्यताओं से ग्रस्त होती हैं जो प्रायः उपचाररहित होता है और उसमें से कुछ तो आजीवन रहता है।¹⁹ अनुसंधान से आगे यह उपदर्शित होता है कि 18 वर्ष से कम आयु की माताओं के बच्चों की रुग्णता और मर्त्यता की दर अधिक होती है। 18 वर्ष से कम आयु की माताओं के शिशुओं की तुलना में 19 वर्ष या इसके अधिक आयु की माताओं के शिशुओं की जीवन के प्रथम वर्ष में मरने की संभावना 60 प्रतिशत अधिक होती है [यूनीसेफ 2007]।”²⁰ बच्चे अपरिपक्व पैदा होते हैं या कम वजन के होते हैं या कमसिन माताओं में मातृ-पितृत्व दक्षता और निर्णय लेने की शक्तियों का साधारण अभाव रहता है।²¹

दूसरा, कमसिन लड़कियां एच आई वी समेत मैथुन संचारित रोगों के संक्रमण का जोखिम उठाती हैं। कमसिन लड़कियां, जो शीघ्र विवाह से भाग जाती हैं, का अंत वेश्या के रूप में होता है या अंततः अतिरिक्त आय कमाने के साधन के रूप में वेश्यावृत्ति के कार्य का सहारा लेती हैं।

¹⁸ बरूआ, ए., हेमन आप्टे, प्रदीप कुमार, केयर एण्ड सपोर्ट ऑफ अनमैरिड एडोलेसेन्ट गर्ल्स इन राजस्थान, इकोनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, जिल्द XLII संख्या 44 नवम्बर 3-9, 2007, पृष्ठ 54.

¹⁹ ब्लैक, मैगी, पूर्व टिप्पण 15.

²⁰ बरूआ, ए., पूर्व टिप्पण 18.

²¹ ओटो-ओयेट्टी, नाना एण्ड सुनीता पोबी, अर्ली मैरेज एण्ड पावर्टी, एक्सप्लोरिंग लिंक्स फार पोलिसी एण्ड प्रोग्राम डेवलपमेंट, दि फोरम आन मैरेज एण्ड दि राइट्स ऑफ वुमैन एण्ड गर्ल्स, लंदन, 2003, पृ.19

कमसिन दुल्हनों को भी उनके पतियों से रोग होने का जोखिम रहता है, क्योंकि प्रौढ़ पति प्रायः विवाह के अलावा अन्य स्त्री से मैथुन में लिप्त रहते हैं। कमसिन विवाहित लड़कियों के पास विवाह में सौदेबाजी करने की शक्ति नहीं होती है अतः सुरक्षित संभोग हेतु मोल-तोल नहीं कर सकती और नाजुक समझी जाती हैं। यह भी पाया गया कि कमसिन लड़कियों में शारीरिक रूप से एच आई वी/एड्स पकड़ने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि उनका योनिच्छद संरक्षणात्मक कोशिकाओं से अच्छी तरह से जुड़ा नहीं है और उनकी ग्रीवा अधिक आसानी से अपरदित हो सकती है। एच आई वी महामारी के एक विश्लेषण से यह पता चला कि “एच आई वी संक्रमण का प्रसार 15-28 आयु की महिलाओं में सबसे अधिक है और पांच से दस वर्ष बाद वाले व्यक्तियों में यह चरमोत्कर्ष पर होता है।”²²

महिलाएं विभिन्न कारणों से अपने पतियों ओर उनके नातेदारों से घरेलू हिंसा का अनुभव करती हैं। इन कारणों में दहेज और पत्नी द्वारा अपने पति और उसके कुटुम्ब द्वारा स्थापित मानक जो प्रायः पितृसत्तात्मक प्रकृति के हैं, के अनुसार बर्ताव न करना शामिल है। एक अध्ययन से यह पता चला है कि “18 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की दर 67% है जबकि 45% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने हिंसा का अनुभव नहीं किया।”²³ चूंकि साधारणतः पुरुषों और उनकी पत्नियों के बीच आयु

²² बरुआ, ए., पूर्व टिप्पण 18.

²³ यू. एन. चिल्ड्रन्स फण्ड (यूनिसेफ), अर्ली मैरेज : ए हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रेक्टिस, यूनिसेफ : फ्लोरेंस (2005), पृष्ठ 22.

अंतराल रहता है और प्रायः पुरुष अधिक आयु के होते हैं इसलिए उनके बीच शक्ति सक्रियता में काफी असमानता हो सकती है। लड़कियां सामाजिक रूप से एकाकी होती हैं उनके पास निर्णय करने की शक्तियां नहीं होती और लगातार अपने पति और नातेदारों से यातना सहती रहती हैं। राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 यह उपदर्शित करता है कि निर्णय लेने की शक्ति साधारणतः विवाहित महिलाओं में काफी सीमित है क्योंकि हाल ही की केवल 52.5% विवाहित महिलाएं घरेलू विनिश्चयों में भाग लेती हैं। इसके अतिरिक्त कमसिन दुलहनें कम आयु में विवाह बंधन में बंध जाती हैं इसलिए वे व्यक्तिगत और सामाजिक दक्षता विकसित नहीं कर पाती जो उन्हें अपना बचाव करने में समर्थ बनाए। वे अपने पतियों पर पूर्णतः आश्रित हो जाती हैं और उनसे हिंसक विवाह को छोड़ने की संभावना नहीं होती है।

महिलाओं के साथ विवाह में यौन हिंसा भी होता है और विशेषकर कमसिन लड़कियां नाजुक (संवेदनशील) होती हैं। 1997 में किए गए एक अध्ययन जिसमें साक्षात्कार की गई महिलाओं में से आधी जिसमें 7 वर्ष की विवाहित सबसे कम आयु की महिला भी है के साथ 15 वर्ष की आयु या इससे नीचे की विवाहित महिलाएं थीं, के निष्कर्षों से यह पता चला कि इस आयु समूह की विवाह में यौन हिंसा की संवेदनशीलता का दर सबसे अधिक है और दूसरे केवल वे महिलाएं हैं जिनके लिए दहेज नहीं संदत्त किया जाता।²⁴ साक्षात्कार की गई महिलाओं ने कहा कि उनके

²⁴ सोमरसेट, कैरन, अर्ली मैरेज : हूज़ राइट टू चूज़? फोरम आन मैरेज एण्ड दी राइट्स ऑफ वुमैन एण्ड चिल्ड्रन, लंदन (2000), पृ. 21

साथ रजोधर्म आरंभ होने के पूर्व से ही मैथुन किया गया और वह मैथुन समयपूर्व और बहुत कष्टदायक था और कई महिलाओं के साथ अब भी अपने पतियों द्वारा मैथुन क्रियाकलाप के लिए मजबूर किया जा रहा है।²⁵ इसके अतिरिक्त कमसिन लड़कियों ने अपने पतियों को मैथुन करने की अपनी अनिच्छा और मैथुन के दौरान कष्ट होने के बारे में बताया लेकिन ऐसे मामलों के 80 प्रतिशत मामलों में बलात्संग होता ही रहा।²⁶

क्योंकि प्रायः पति की आयु अपनी पत्नियों की आयु से काफी अधिक होती है इसलिए लड़की दुलहनों की कम आयु में विधवा होने की संभावना हो जाती है। एक बालिका दुलहन जो विधवा हो जाती है, के साथ हैसियत की हानि समेत भेदभाव होती है और उन्हें प्रायः साम्प्रतिक अधिकारों और अन्य अधिकारों से वंचित किया जाता है। बाल विधवाओं के पास अपनी देखभाल में समर्थ बनाने के लिए थोड़ी शिक्षा या बिलकुल शिक्षा या अन्य कौशल नहीं होता है। बंगलौर, भारत के 1994 के एक सम्मेलन में सहभागियों ने पांच और छह वर्ष की आयु पर विवाहित होने और कुछ वर्ष बाद विधवा होने और बाद में अपनी ससुरालवालों और अपने निजी कुटुम्ब के व्यक्तियों द्वारा अस्वीकार किए जाने की बात बतायी। यह

²⁵ ओटो-ओयोटे, नाना, पूर्व टिप्पण 21

²⁶ क्वात्रा, एम. पी. सेन, एण्ड एम. थामसन, फोर्सड मैरेज, फोर्सड सैक्स : दि पेरेल्स ऑफ चाइल्डहुड फार गर्ल्स, (1998) पृ. 31,
<http://www.nepalsathi.ws/birendra/writings/bhutanrefugees/bt1998ouattra.pdf>,
नवम्बर, 2007 को देखा।

समान्य बात है कि इन विधवाओं के पास कोई संसाधन नहीं रहा और अब वे कहाँ जाएँ।²⁷

कमसिन लड़कियाँ जिनका विवाह हो जाता है प्रायः स्कूल जाना बंद कर देती हैं। लड़की को शिक्षा देना लड़के और लड़का दोनों के कुटुम्बों द्वारा अच्छी पत्नी या माता होने के लिए यदि निवारक नहीं फिर भी अनावश्यक समझा जाता है। ऐसी लड़कियाँ जिनके पास विकल्प होता है अंततः स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है क्योंकि उन्हें घरेलू कार्य करने और परिवार आदि आरंभ करने के दायित्व उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। शीघ्र विवाह प्रायः लड़कियाँ की निम्न स्तर की शिक्षा से जुड़ा है। राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के आंकड़ों से यह दर्शित होता है कि 20-24 वर्ष आयु की हाल की भारतीय महिला जिसका विवाह अठारह वर्ष की आयु के पूर्व हो गया था, का 71.6% के पास कतई कोई शिक्षा नहीं है। इसके अतिरिक्त, स्कूल न जाकर कमसिन दुलहनों को अपने नजदीकी लोगों से मित्रता बढ़ाने या जटिल जीवन कौशल अर्जित करने के अवसर से वंचित किया जाता है।

यह कहा गया है कि “शिक्षित महिलाओं की बात अपने कुटुम्ब के आकार और अपने बच्चों के भविष्य बनाने के संबंध में निर्णय लेने में काफी अधिक माने जाने की संभावना है। उन्हें गर्भ निरोधक और अपने बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के बारे में अधिक भिन्नता और जानकारी होने की भी संभावना है।²⁸ चूंकि विवाहित लड़कियाँ अपना घर

²⁷ ब्लैक, मैगी, पूर्व टिप्पण 15.

²⁸ ओटो-ओयोटी, नाना, पूर्व टिप्पण 21.

और प्रायः गांव, शहर, नगर आदि छोड़ देती हैं इसलिए वे अपनी घनिष्ठ सहेलियां खो देती हैं जो वे अपने पैतृक घरों में बनाए थे और प्रायः अकेली और वशीभूत हो जाती हैं । इसका यह अर्थ है कि जहां लड़कियों ने अपना सामाजिक ताना-बाना विकसित भी किया हो वे उनसे अपनी पहुंच बनाने में असमर्थ होती हैं । ”²⁹

कौमार्यता की हानि, बलात् यौन संबंध और शीघ्र विवाह के कारण स्वतंत्रताओं और व्यक्तिगत विकास के वंचन के काफी मनोवैज्ञानिक और भावात्मक परिणाम होते हैं । राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाल विवाह के शोधकर्ताओं का कहना है कि बाल विवाह के उपरोक्त परिणामों के कारण लड़कों की तुलना में कमसिन विवाहित लड़कियों को अधिक भुगतना पड़ा

³⁰

²⁹ वही

³⁰ ब्लैक, मैगी, पूर्व टिप्पण 15.

अध्याय - 4

मानव अधिकार और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006

इस प्रकार, बाल विवाह बाल दुरुपयोग और बालक के मानव अधिकारों का अतिक्रमण है। इसका बालक के स्वास्थ्य और भलाई पर काफी हानिकर प्रभाव पड़ता है। यह बचपन और कौमार्यता का वंचन है, यह पूर्ण व्यक्तित्व के विकसित होने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अवसर का हास तथा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और भावनात्मक भलाई का वंचन है और यह प्रजनन, स्वास्थ्य और शैक्षिक अवसर का वंचन है। लड़की सर्वाधिक प्रभावित है और अपने शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास का अपूरणीय नुकसान सहन करती है।³¹

अतः यह परीक्षा करना महत्वपूर्ण है कि क्या बाल विवाह पर नई विधि (बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम) विचार करती है और संपूर्ण तरीके से बाल विवाह के भयानक प्रभावों को दूर करना चाहती है। बाल विवाह संरक्षण अधिकारियों का उपबंध कर और सामूहिक बाल विवाहों को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को शक्तियां देकर और बाल विवाह को संज्ञेय और अजमानतीय दोनों बनाकर, नई विधि निश्चित ही बाल विवाह होने से निवारित करना चाहती है और ऐसे करने के लिए एक मशीनरी स्थापित करती है। आगे यह उपबंध करके कि बाल विवाह को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा एकपक्षीय अंतरिम व्यादेश दिया जा सकता है, नई विधि में

³¹ चटर्जी, ज्योत्सना, पूर्व टिप्पण 12.

निश्चित ही पुरानी विधि की तुलना में सुधार हुआ है जिसमें यह अनुबंध था कि नोटिस के बिना कोई अंतरिम व्यादेश पारित नहीं किया जा सकता । ऐसे संरक्षकों और अन्य जो बाल विवाह का संवर्धन करते हैं, अनुज्ञा देते हैं या रोकने में असफल रहते हैं, के लिए धारा 9, 10 और 11 में 18 वर्ष की आयु से अधिक के वर और वे जो कोई बाल विवाह संपादित, संचालित या निदेश देते हैं, के लिए पूर्व तीन मास से बढ़ाकर दो वर्ष तक और एक सौ हजार रुपए तक जुर्माने में दण्ड की वृद्धि का परिवर्तन भी स्वागत योग्य है ।

तथापि, महिला समूहों, मानव अधिकार समूहों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा नए अधिनियम की तीन महत्वपूर्ण आलोचनाएं की गईं । नए अधिनियम की मुख्य आलोचनाओं में से एक है कि यह कतिपय आयु के नीचे के विवाह को भी अविधिमान्य नहीं ठहराता । इसी प्रकार, 10, 11, 12 या 13 वर्ष की आयु का बालक/बालिका विवाह कर सकता/कर सकती है और मैथुन और अन्य तरह के दुरुपयोग का शिकार हो सकता है /सकती है । जिसका प्रसामान्यतः अन्तहीन और अप्रतिवर्ती मानसिक और शारीरिक परिणाम होता है । लड़की को 15 वर्ष की आयु के पश्चात् मात्र विवाह को समाप्त करने का विकल्प देना पर्याप्त नहीं हो सकता है । यद्यपि 15 वर्ष के कम आयु की पत्नी के साथ मैथुन करना आपराधिक विधि के अधीन भी दंडनीय है फिर भी विवाह को नए अधिनियम के अधीन भी विधिमान्य ठहराया गया है । कुछ लोगों द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि बलात्संग विधियों के अधीन सहमति की आयु नहीं होनी चाहिए जो विवाह की न्यूनतम आयु है और इस आयु से कम के सभी विवाहों को शून्य ठहराया

जाना चाहिए । कुछ अन्य लोगों का यह प्रस्ताव है कि विशेष परिस्थितियों में विवाह की अनुज्ञा 16 वर्ष की आयु से अधिक की आयु वालों के बीच दी जा सकती है (इसमें इसके पश्चात् विवाह की शिथिल आयु कहा गया है) और मैथुन की सहमति की आयु और विवाह की शिथिल आयु एक ही होनी चाहिए और 16 वर्ष से कम आयु के विवाह शून्य होने चाहिए ।

पुराने बाल विवाह अवरोध अधिनियम की तरह नए अधिनियम में भी विवाहित होने के लिए लड़की और लड़के के लिए न्यूनतम आयु भिन्न-भिन्न अनुबंधित है । कुछ लोगों द्वारा इस उपबंध की आलोचना विभेदकारी, पक्षपातपूर्ण और विवाह के पितृसत्तात्मक धारणा पर आधारित होने के रूप में की गई है ।³² नए अधिनियम के बनिस्बत उठायी गई एक अन्य आलोचना इस बात पर है कि यद्यपि एक लड़का 23 वर्ष की आयु तक विवाह के विकल्प का चयन कर सकता है जबकि एक लड़की ऐसा 20 वर्ष (वयस्कता की आयु प्राप्त करने के दो वर्ष पश्चात् की आयु तक ही कर सकती है)।

यदि हम विभिन्न देशों की विधियों की परीक्षा करें तो हम देखते हैं कि अधिकांश देशों ने बाल विवाह पर रोक लगा दी है और विवाह के दौरान और इसके बाद बलात्संग को दण्डित करते हैं । तथापि, बाल विवाह अधिकांश विकसित देशों में प्रचलन में बना हुआ है । कुछ देशों में, यद्यपि विवाह के लिए विधिक आयु 18 वर्ष है फिर भी व्यक्ति को आपवादिक परिस्थितियों में उस आयु से पूर्व विवाह करने की अनुज्ञा दी जा सकती है अन्यथा विवाह शून्य है । उदाहरणार्थ, आस्ट्रेलिया में कोई व्यक्ति किसी

³² सगाडे, जया चाइल्ड मैरिज इन इंडिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, 2005

न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने विवाह करने का आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसका/उसकी आयु 16 वर्ष हो चुकी है।³³ तथापि, 1991 तक आस्ट्रेलिया के सभी राज्यों ने वैवाहिक बलात्संग अपवाद को समाप्त कर दिया था।

न्यूजीलैण्ड में 16 वर्ष की आयु से अधिक और 20 वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति ही माता-पिता की सहमति से विवाह कर सकता है। महिला के लिए मैथुन के लिए सहमति की आयु भी 16 वर्ष है।³⁴ न्यूजीलैण्ड के अपराध अधिनियम, 1961 में विवाह बलात्संग का कोई अपवाद नहीं है।³⁵ विवाह बलात्संग छूट को 1985 में समाप्त कर दिया गया था।³⁶

यूनाइटेड किंगडम में, 16 वर्ष से कम आयु का विवाह शून्य है।³⁷ विवाह बलात्संग छूट को पूरी तरह से 1991 में समाप्त कर दिया गया था।

³³ दि आस्ट्रेलिया मैरिज ऐक्ट, 1961 के साथ 2000 का संशोधन अधिनियम सं. 46, भाग II, 11

<[www.comlaw.gov.au/comLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/o/62C9133A12096F07CA25719C00335E03/\\$file/MarriageAct1961_WD02.pdf](http://www.comlaw.gov.au/comLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/o/62C9133A12096F07CA25719C00335E03/$file/MarriageAct1961_WD02.pdf)>, दिसम्बर, 2007 को देखा गया।

³⁴ मैरिज ऐक्ट, 1955

<www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=578134860&infobase=DOC>, दिसम्बर, 2007 को देखा गया।

³⁵ क्राइम्स ऐक्ट, 1961, धारा 128, खण्ड 4,

<www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?> दिसम्बर, 2007 को देखा गया।

³⁶ मिश्रा, सौरभ और सरवेश सिंह, मैरिटल रेप - मायथ, रियल्टी एंड नीड फार क्रिमिनलाइजेशन (2003) प्रैक्टिकल लायर वैबजर्नल 12

³⁷ मैरिज ऐक्ट, 1949, हाल्सबरी लाज़ आफ इंगलैंड, फोर्थ एडीशन, वाल्यूम 29(3) प.41

मिश्र में, विवाह के सिवाय सभी विधिक प्रयोजनों के लिए वयस्कता की आयु 21 वर्ष है। पुरुषों के लिए विवाहयोग्य आयु 18 वर्ष और महिलाओं के लिए 16 वर्ष है।³⁸ लेकिन पुनः सहमति की आयु विवाह योग्य आयु से भिन्न है। सहमति की आयु 18 वर्ष³⁹ है और दण्ड संहिता में यह उपबंध है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ मैथुन बलात्संग है।⁴⁰

संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न राज्यों की विभिन्न विधियां हैं। इन अधिकांश विधियों के अधीन विवाह के लिए विधिक आयु पुरुष और महिला दोनों के लिए 18 वर्ष है।⁴¹ तथापि, कैलीफोर्निया जैसे राज्यों में कोई व्यक्ति माता-पिता की अनुज्ञा से उस आयु से कम आयु में विवाह कर सकता है।⁴² विवाह बलात्संग अपवाद को संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्यों में समाप्त किया गया है।⁴³

पाकिस्तान में मुस्लिम कुटुम्ब विधि अध्यादेश के अधीन, लड़की की आयु 16 वर्ष की और लड़के की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए और विवाह

³⁸ सीडा मिश्र देश रिपोर्ट (30 मार्च, 2000) पृ. 14-15

³⁹ यूनिसेफ वेबसाइट, <<http://www.unicef.org/knowyourrights/know>> , नवम्बर, 2007 को देखा गया।

⁴⁰ सीडा मिश्र, पूर्व टिप्पण 38

⁴¹ कार्नेल विश्वविद्यालय ला स्कूल, लीगल इन्फोरमेशन इंस्टीट्यूट

<www.law.cornell.edu/tpopics/Table_Marriage.htm>, दिसम्बर, 2007 को देखा गया।

⁴² कैलिफोर्निया कुटुम्ब कोड, सैक्शन 301

⁴³ नारायण चित्रा, वैन दि इसपाउस टर्न्स एब्यूजिव, दि हिन्दू मैट्रो प्लस चिन्ई), जून 03, 2006

होने के पूर्व दोनों की सहमति की आवश्यकता होती है।⁴⁴ इंडोनेशिया में, वयस्कता और विवाहयोग्य आयु लड़कियों के लिए 16 वर्ष और लड़कों के लिए 19 है।⁴⁵ मैथुन कार्य के लिए विधिमान्य सहमति देने की आयु भी लड़कियों के लिए 16 वर्ष ही स्थिर की गई है। विधिक आयु से कम आयु का कोई विवाह शून्य है।⁴⁶

इंडोनेशिया की घरेलू हिंसा विधि भी कुटुम्ब के ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो उसी कुटुम्ब के एक अन्य व्यक्ति को मैथुन के लिए बल का प्रयोग करता है जिसका अधिकतम दंड 15 वर्ष है।⁴⁷

अतः विभिन्न देशों की विधियों के विवरण से यह दर्शित होता है कि कुछ देशों को छोड़कर, अधिकांश देशों में लड़का और लड़की दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कुछ देश 18 वर्ष से कम लेकिन 16 वर्ष से अधिक आयु में विवाह की अनुज्ञा देते हैं। मैथुन की सहमति की आयु विवाह की न्यूनतम या शिथिल आयु के जैसा है।

अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन भी इस प्रतिपादना का समर्थन करते हैं कि बाल विवाह का उन्मूलन किया जाना चाहिए। यूनीसेफ और यूनाइटेड नेशनल पापुलेशन फंड जैसी विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय निकायों ने यह सुझाव दिया है कि विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष मानी जानी चाहिए।

⁴⁴ अनुच्छेद 16, सीडा पाकस्तान देश रिपोर्ट (2005), पृ. 122

⁴⁵ अनुच्छेद 16, सीडा इंडोनेशिया कंट्री रिपोर्ट (27 जुलाई, 2005), पृ. 57

⁴⁶ वही पृष्ठ 58

⁴⁷ एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंडोनेशिया : एक्सपोज़ेचर एंड एब्यूज़ : दि प्लाइट आफ़ वुमैन डोमेस्टिक वर्कर्स (रिपोर्ट) इन्डैक्स फरवरी, 2007, पृष्ठ 12

महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीडा) जिसका भारत ने अनुसमर्थन किया है, में विनिर्दिष्टतः विवाह की आयु का उल्लेख है। अनुच्छेद 16(2) में यह उपबंध है कि “बालक की सगाई और विवाह का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और विवाह हेतु न्यूनतम आयु विनिर्दिष्ट करने और सरकारी रजिस्ट्री में विवाह का रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य बनाने के लिए विधान समेत सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।” तथापि, वह समिति जो महिला के कन्वेंशन का निरीक्षण कर रही थी, ने अनुच्छेद 16(2) का अपना निर्वचन सामान्य सिफारिश सं. 21 शीर्षक “विवाह और कुटुम्ब संबंधों में समानता” के रूप में जारी किया।⁴⁸ इस सिफारिश में भी यह सुझाव दिया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। सिफारिश में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन, 1993 द्वारा अंगीकृत वियना घोषणा और कार्रवाई कार्यक्रम के अनुमोदन के साथ उद्धृत है कि राज्यों से ऐसी विद्यमान विधियों और विनियमों को निरसित करने और प्रथाओं और रीति-रिवाजों को दूर करने का आग्रह किया जाए जो लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं और उन्हें अपहानि कारित करते हैं। इसमें आगे यह उल्लेख है कि जब पुरुष और स्त्री विवाह करते हैं तो उन पर महत्वपूर्ण दायित्व आ जाता है। परिणामतः उनके कार्य करने की पूर्ण परिपक्वता अभिप्राप्त करने के पूर्व विवाह करने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब अवयस्क, विशेषकर लड़कियां विवाह करती हैं और

⁴⁸ यद्यपि भारत में अनुच्छेद 16(2) के बारे में आरक्षण दिया है, आरक्षण केवल विवाह के रजिस्ट्रीकरण के बारे में है न कि न्यूनतम विवाह आयु के बारे में। सीडा जनरल रिकमेंडेशन 21, यू एन. जी ए ओ आर, 1994 डाक. नं. ए/47/38 देखिए।

गर्भवती हो जाती हैं तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और उनकी शिक्षा बाधित होती है। परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक स्वायत्तता निर्बाधित हो जाती है। यह न केवल स्त्री को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है बल्कि उनके कौशल के विकास और स्वतंत्रता को भी सीमित करता है और रोजगार पाने की संभावना कम हो जाती है जिससे उनके कुटुम्ब और समुदाय पर हानिकर प्रभाव पड़ता है।”

आगे सीडा के अधीन महिला की प्रास्थिति पर बनी समिति ने इस तथ्य की आलोचना की कि कतिपय देशों में लड़का और लड़की की विवाह के लिए विभिन्न आयु है जो इस प्रकार है :-

“कुछ देशों में पुरुष और स्त्री के विवाह के लिए भिन्न-भिन्न आयु का उपबंध है। इस प्रकार उपबंधों को गलत माना जाता है कि स्त्रियों के पास पुरुषों की तुलना से बौद्धिक विकास की दर भिन्न है या यह कि विवाह के लिए शारीरिक और बौद्धिक विकास का प्रक्रम महत्वहीन है, इन उपबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरे देशों में, लड़कियों की सगाई या उनकी ओर से कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा वचनबद्धता की अनुज्ञा है। ऐसे उपाय न केवल परम्परा बल्कि स्वतंत्ररूप से अपना जीवन साथी चुनने के स्त्री के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं।”

विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों ने इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बल दिया कि विवाह समानता और पक्षकारों के पूर्ण और स्वतंत्र सहमति के आधार पर होना चाहिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948

में यह उपबंध है कि पुरुष और स्त्री विवाह और विवाह विघटन में समान अधिकार के हकदार हैं और दोनों संभावित पति-पत्नियों को अनुच्छेद 16(2) द्वारा विवाह हेतु स्वतंत्र और पूर्ण सहमति देनी चाहिए।⁴⁹ दासता और दासता के समरूप प्रभावों के उत्सादन पर तदनुसार 1956 के पूरक कन्वेंशन में बलात् विवाह को दासता के समान माना गया है [अनुच्छेद 1(ग)]। विवाह की सहमति, विवाह की न्यूनतम आयु और विवाह के रजिस्ट्रीकरण पर 1964 कन्वेंशन में यह अनुबंध है कि विवाह हेतु दोनों पक्षकारों की सहमति की अपेक्षा है [अनुच्छेद 1]; पक्षकारों से यौवनारम्भ की आयु के भीतर विवाह न करने की मांग करता है और यह अपेक्षा करता है कि राज्य विवाह हेतु न्यूनतम आयु विहित करे। आई सी सी पी आर [अनुच्छेद 23]⁵⁰ और आई सी ई एस सी आर [अनुच्छेद 10]⁵¹ में पुनः यह दोहराया गया कि विवाह में बंधने वाले दोनों पक्षकारों को स्वतंत्र और पूर्ण सहमति से विवाह करना चाहिए।

बालक के अधिकार पर 1989 कन्वेंशन, जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता है, राज्यों के लिए यौन शोषण समेत सभी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हिंसा, क्षति या दुरुपयोग, उपेक्षा, बर्ताव और शोषण

⁴⁹ यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948, यूनाइटेड नेशन्स वैबसाइट <www.un.org/Overview/rights.html>, दिसम्बर, 2007 को देखा गया।

⁵⁰ इंटरनेशनल कोवनेंट आन इकोनोमिक, सोशल एण्ड कल्चरल राइट्स, यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिशनर्स फार ह्यूमन राइट्स के कार्यालय वैबसाइट

<www2.ohchr.org/English/law/cescr.htm>, दिसम्बर, 2007 को देखा गया

⁵¹ इंटरनेशनल कोवनेंट आन सिविल एण्ड पोलिटिकल राइट्स, यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिशनर्स फार ह्यूमन राइट्स के कार्यालय वैबसाइट

<www2.ohchr.org/English/law/ccpr.htm>, दिसम्बर, 2007 को देखा गया।

से बालकों का संरक्षण करने के लिए आबद्धकर बनाता है । यह अपरिहार्यतः लड़कियों के मामले में होता है जब उसका विवाह बालक रहते ही हो जाता है ।

अध्याय - 5

बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 ; विधायी इतिहास, निर्णय और बाल विवाह और बालक की आयु पर संशोधनों लिए विभिन्न सिफारिशें

बाल विवाह अवरोध अधिनियम ऐसे सामाजिक सुधार समूहों और व्यक्तियों द्वारा लगातार दबाव का परिणाम था जो बाल विवाह के प्रतिकूल प्रभावों से बहुत क्षुब्ध थे । सामाजिक दबाव के कारण कई अवसरों पर विवाह की न्यूनतम आयु संशोधित कर बढ़ायी गई और 10 वर्ष से बढ़ाकर 16 वर्ष की गई । 1940 में विवाहित और अविवाहित लड़कियों की सहमति की आयु 15 वर्ष थी यद्यपि विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष हो गई ।

बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अधीन विवाह की आयु और दण्ड सांहिता के अधीन मैथुन हेतु सहमति की आयु में वृद्धि अधिकांशतः पास-पास होती रही जैसा नीचे सारणी से देखा जा सकता है :-

वर्ष	भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के 5वें खंड के अधीन सहमति की आयु	भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के वैवाहिक बलात्संग अपवाद में वर्णित आयु	बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अधीन विवाह की न्यूनतम आयु
1860	10 वर्ष	10 वर्ष	—
1891 अधिनियम (1891 का 10) भारतीय दंड संहिता के	12 वर्ष	12 वर्ष	—

संशोधन के पश्चात्			
1925 (भारतीय दंड संहिता के संशोधन के पश्चात्)	14 वर्ष	13 वर्ष	-
1929 (बाल विवाह अवरोध अधिनियम के पारित होने के पश्चात्)	14 वर्ष	13 वर्ष	14 वर्ष
1940 (दण्ड संहिता और बाल विवाह अधिनियम के संशोधन के पश्चात्)	16 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष
1978	16 वर्ष	15 वर्ष	18 वर्ष

तथापि, बाल विवाह अवरोध अधिनियम कई कारणों से अप्रभावी रहा । 2001 में यूनीसेफ के एक अध्ययन से यह पता चला कि किसी एक वर्ष में अभियोजनों की संख्या 89 से अधिक नहीं बढ़ी ⁵² राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो अभिलेख 2005 के अनुसार, 2004 में दर्ज 93 मामलों की तुलना में वर्ष 2005 में बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अधीन देश में 122 घटनाएं दर्ज की गई थीं ⁵³ स्पष्टतः ये आंकड़े देश में हो रहे बाल विवाह के मामलों की संख्या का सही प्रतिबिम्बन नहीं है । बाल विवाह के

⁵² ब्लैक, मैगी, पूर्व टिप्पण 15

⁵³ नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो, क्राइम इंडिया 2005 <<http://ncrb.nic.in>> नवम्बर, 2007 को देखा गया ।

अधिकांश मामले दर्ज नहीं हो रहे हैं और/या पुलिस और सरकारी प्राधिकारियों द्वारा उपेक्षित किए जा रहे हैं। दर्ज 122 मामलों में से केवल 45 मामलों में दोषसिद्धि हुई है।⁵⁴

बाल विवाह अवरोध अधिनियम द्वारा विहित अपेक्षित आयु के अतिक्रमण में किए गए विवाहों की विधिमान्यता के प्रश्न के संबंध में न्यायपालिका ने सुस्थिर आधार लिया है। 1885 में उभरे सर्वप्रथम मामले से 2006 के हाल के निर्णय तक विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने ऐसे विवाहों की विधिमान्यता को अनुमोदित किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल ही के एक निर्णय में यह दोहराया गया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iii) के अधीन विहित आयु के उल्लंघन में अनुष्ठापित विवाह न तो शून्य है और न ही शून्यकरणीय।⁵⁵ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निर्णय लोक नीति पर आधारित है और विधान मंडल इस तथ्य के प्रति सचेत है कि आयु निर्बंधन के उल्लंघन में किए गए विवाहों को शून्य या शून्यकरणीय बनाया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम और महिलाओं का शोषण हो सकता है। यह मत कि बाल विवाह विधिमान्य थे दुर्गा बाई बनाम केदारमल शर्मा⁵⁶, शंकरप्पा बनाम सुशीलाबाई⁵⁷, लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य⁵⁸, रवीन्द्र प्रसाद बनाम सीता दास⁵⁹, विलियम रिबेलो बनाम एंगलो

⁵⁴ वही

⁵⁵ मनीश सिंह बनाम राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और अन्य, 2006(1) एच एल आर 303

⁵⁶ दुर्गा बाई बनाम केदारमल शर्मा, 1980(जिल्द VI)एच एल आर 166

⁵⁷ शंकरप्पा बनाम सुशीला बाई, ए. आई. आर. 1984 कर्नाटक 112

⁵⁸ श्रीमती लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, 1978 एस सी सी स (3) 258

⁵⁹ रवीन्द्र प्रसाद बनाम सीता दास, ए आई आर 1986 पटना 128

वाज⁶⁰, नीतू सिंह बनाम राज्य और अन्य⁶¹ तथा रविकुमार बनाम राज्य और अन्य⁶² जैसे अन्य कई मामलों में कायम रखा गया ।

पुराने बाल विवाह अविरोध अधिनियम के अधीन बहुत इनी-गिनी दोषसिद्धियां हुई थीं । यह कहा गया है कि “न्यायालय अधिनियम के अधीन प्रौढ़ों को दोषी ठहराने के प्रति अनिच्छुक हैं । उदाहरणार्थ यह अभिनिर्धारित किया गया कि दुलहन का मार्गरक्षी मेहमान और अन्य लोगों को प्रथागत गायन याद दिलाने को अधिनियम के अधीन दंडित नहीं किया जा सकता है ।⁶³ विवाह के समझौते और तैयारी को भी दण्डनीय नहीं बनाया गया है ।⁶⁴ अधिनियम की धारा 5 जो ऐसे व्यक्ति को, जो विवाह का संचालन करता है, निदेश देता है या पालन करता है, दायी बनाता है, न्यायालय द्वारा बहुत संकीर्ण अर्थान्वयन किया गया है । न्यायालयों द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम के अधीन दंडित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि विवाह के रूप में लागू सभी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार सम्यक् रूप से विवाह किया गया है ।⁶⁵ इस तरह का तर्क अभियुक्त पक्षकार को यह अभिवाक् करने की छूट देता है कि विवाह लागू समारोहों के अनुसार नहीं किया गया है । यद्यपि अधिनियम के अधीन इस कथन के कुछ सकारात्मक निर्णय हैं

⁶⁰ बिलियम रिबेलो बनाम एंगलो वाज़, ए आई आर 1996 बोम्बे 204

⁶¹ नीतू सिंह बनाम राज्य और अन्य, 1999 (1) जिल्द 39 एच. एल. आर. 466

⁶² रवि कुमार बनाम राज्य और एक अन्य, मनु/डे/1497/2005

⁶³ एम्परर बनाम फूला बाई भूलाभाई दोशी और अन्य, ए आई आर 1940 बोम्बे 363

⁶⁴ शेख हैदर शेख रहीमू अत्तर मुसलमान बनाम सैयद ईसा सैयद रहमान मुसलमान और अन्य, ए आई आर 1938 नागपुर 235

⁶⁵ खुशालचन्द जानकी प्रसाद बनाम शंकर पांडे गया प्रसाद, ए आई आर 1963 मध्य प्रदेश 126

कि निवारक दंड अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए, न्यायालयों ने बिलकुल हल्के दंड दिए हैं और अभियुक्त को थोड़े जुर्माने के साथ छोड़ दिया ।

66 67

पुराने बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी को वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी की कोई शक्ति नहीं थी । अधिनियम में विवाह के प्रथम वर्ष के पश्चात् शिकायत का भी प्रतिषेध करने का वर्जन था इसलिए बाल विवाहों का अभियोजन बहुत कठिन था ⁶⁶ तथापि, इन अधिकांश मुद्दों पर विचार किया गया है और इस बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में उन सभी लोगों को दोषी ठहराया गया है जो बाल विवाह में भाग लेते हैं या इसे दुष्प्रेरित करते हैं और कठोर दंड का उपबंध किया गया है, न्यायिक धारणा को भी परिवर्तित करना होगा और बाल विवाह के मुद्दे को लड़की की दृष्टि से देखाना होगा । आगे, यह पाया गया कि बाल विवाह विषयक विधि की जानकारी का बिलकुल अभाव है । अतः, सरकार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम की बातों का प्रचार करे और बाल विवाह की बुराईयों के बारे में जानकारी दे ।

⁶⁶ मुसम्मात जलसी कौर और अन्य बनाम एम्परर, ए आई आर पटना 471 और कॉडेपुरी श्रीराममूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य ए आई आर 1960 आंध्र प्रदेश 302

⁶⁷ सिंह, कीर्ति और दिव्या कपूर, ला, वायलेंस एण्ड दि गर्ल चाइल्ड, हैल्थ एण्ड ह्यूमन राइट्स एण्ड इंटरनेशनल जर्नल, वॉल्यूम 5, संख्या 2, 2001, पृ. 18

⁶⁸ सीडा, जनरल रिकमैन्डेशन 21, यू एन जी ए सओ आर, 1994, डाक नं. ए/47/38

अधिनियम की धारा 18 के अधीन समतुल्य दंड देने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में भी परिणामी परिवर्तन करना होगा।⁶⁹

तथापि, विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4(ग) में यह उपबंध है कि विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष और स्त्री की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। इस खंड के उल्लंघन में अनुष्ठापित विवाह शून्य माना जाता है और अधिनियम की धारा 24 के अधीन इस प्रकार घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार कोई उपबंध इस अधिनियम के अधीन अवयस्क के विवाह को संभव नहीं बनाता है और बाल विवाह को शून्य माना जाता है और बाल विवाह अवरोध अधिनियम के दंड उपबंधों के अधीन हैं।

गोवा राज्य के विवाह गोवा, दमण और दीव के कुटुम्ब विधियों द्वारा शासित हैं। गोवा की कुटुम्ब विधि के अधीन सिविल विवाह और इसके अनुष्ठापन वाला एक अध्याय है।⁷⁰ अनुच्छेद 3 में यह उपबंध है कि सभी पुर्तगालवासी सिविल विधि में स्थापित शर्तों और रीति के अधीन संबद्ध सिविल रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष विवाह अनुष्ठापित करेंगे और केवल ऐसा ही विवाह विधिमान्य है। अनुच्छेद 4(3) में यह उपबंध है कि 18 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री बंधन में नहीं बंध सकते। अनुच्छेद 5 के अनुसार, माता-पिता की सहमति विवाह के लिए आवश्यक है।⁷¹

⁶⁹ इस समय हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 18, 15 दिनों का कारावास या 1,000/- रुपए तक के जुर्माने का कम दंड अनुबंधित करती है।

⁷⁰ विलियम रिबेलो बनाम जोस एंगलो वाज़, ए आई आर 1996 बॉम्बे 204 देखिए।

⁷¹ वही

पांडिचेरी के सन्यासी फ्रेंच सिविल संहिता द्वारा शासित हैं। फ्रेंच सिविल संहिता के अध्याय 1, अनुच्छेद 144 में यह उपबंध है कि कोई पुरुष 18 वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्व और स्त्री 15 वर्ष की आयु पूरी करने तक विवाह बंधन में नहीं बंध सकती है।

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय विधियों के अधीन, विवाह की न्यूनतम आयु पुरुष के लिए 21 वर्ष और स्त्रियों के लिए 18 वर्ष विहित है। इन विधिक उपबंधों के बावजूद अब भी बाल विवाह व्यापक तौर पर हो रहे हैं और इन उपबंधों के उल्लंघन में अनुष्ठापित विवाह नए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और मुस्लिम विधि के अधीन भी शून्य नहीं हैं।

यदि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम है तो पति को बलात्संग के अपराध से आरोपित किया जा सकता है। तथापि, यह भी विधि 12 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक की पत्नी के बीच विभेद करता है। धारा 376 के अधीन जब पत्नी 12 वर्ष से कम हो तो शास्ति कठोर अर्थात् इतनी अवधि का कारावास जो सात वर्ष से अन्यून होगा लेकिन जो आजीवन कारावास या ऐसी अवधि के लिए होगा जो 10 वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है और जुर्माना है। तथापि, यदि पत्नी की आयु 12 वर्ष से कम नहीं है अर्थात् वह 12 वर्ष से अधिक और 15 से कम है तो दंड हल्का अर्थात् ऐसी अवधि का कारावास जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों है।

विधि आयोग की 84वीं रिपोर्ट ने अपवाद खंड में सहमति की न्यूनतम आयु और न्यूनतम आयु में वृद्धि की सिफारिश की थी। आयोग की सिफारिश इस प्रकार थी :

“ 2.20. विचारार्थ प्रश्न यह है क्या आयु बढ़ाकर 18 वर्ष की जाए। (1978 के पश्चात) विधि द्वारा अब अधिकथित विवाह की न्यूनतम आयु स्त्रियों के मामले में 18 वर्ष है और धारा 375 के सुसंगत खंड में इस परिवर्तित बर्ताव का प्रतिबिम्बन होना चाहिए। चूंकि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ विवाह प्रतिषिद्ध है (यद्यपि यह स्वीय विधि के रूप में शून्य नहीं है) इसलिए 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के लिए मैथुन को भी प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए। ”

विधि आयोग ने बलात्संग विषयक विधियों पर पुनर्विलोकन” (2000) पर अपनी 172वीं रिपोर्ट पर विचार किया। विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तावित परिवर्तनों का प्रारूप परिचालित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रारूप पर अपनी सिफारिशें कीं। अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन विषयक उपबंध की बाबत राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुझाव दिया कि “सहमति के बिना अपनी ही पत्नी के साथ वैवाहिक मैथुन को भी यौन हमला माना जाना चाहिए।”⁷² अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक महिला एसोसिएशन और साक्षी समेत कतिपय महिला समूहों ने भी सिफारिश की थी कि वैवाहिक बलात्संग को बलात्संग की मान्यता दी

⁷² दि नेशनल कमीशन फार वुमैन रिवर्मेंडेशन वेबसाइट <<http://ncw.nic.in/>> (नवम्बर, 2007 को देखा गया)

जाए । यद्यपि विधि आयोग इस सुझाव से सहमत नहीं था फिर भी इसने सिफारिश की कि विवाहित और अविवाहित महिला दोनों के लिए सहमति की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए जिसके नीचे की उम्र के मैथुन को बलात्संग माना जाना चाहिए और तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 1995-96 की अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि बाल विवाह को शून्य घोषित किया जाए । इसने आगे यह सिफारिश की थी कि विवाहों का रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य बनाया जाए और 14 वर्ष की आयु तक स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया जाए । आयोग ने महसूस किया कि बाल विवाह रोकने में ये सभी उपाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं ।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक, 2004 पुरःस्थपित किया और यह जांच और रिपोर्ट के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की संसदीय स्थायी समिति विषयक विभाग को निर्दिष्ट किया गया । समिति ने दोनों लिंगों के लिए एकसमान विवाहयोग्य आयु अर्थात् 18 वर्ष प्रस्तावित किया जिससे कि व्यक्ति और समग्र समाज को किन्हीं गंभीर परिणामों से बचाया जा सके । समिति ने आगे सिफारिश की कि बाल विवाह को आरंभतः शून्य घोषित किया जाए न कि अंतर्बाधा को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकारों को न्यायालय की कार्यवाहियों से जूझना पड़े, बंधन में बंधने वाले पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय । समिति ने आगे बाल विवाहों के शिकार व्यक्तियों के लिए आश्रय, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पुनर्वास निधि के सृजन जैसे सामाजिक उपाय

आरंभ करने की सिफारिश की और पंचायत, तहसील, जिला और राज्य स्तर के कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों और समाज समूहों और अभिकरणों से सक्रिय सहयोग और समन्वय की भी सिफारिश की ।

समिति द्वारा की गई एक अन्य सिफारिश यह थी कि नए विधान में प्रस्तावित दंड उपबंधों के समरूप लाने के लिए बाल विवाह करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में अधिकथित दंड को सार्थकतः बढ़ाया जाए ।

समिति ने विवाह के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की भी सिफारिश की और बाल विवाह की घटना को रोकने के लिए गैर-सरकारी संगठनों और सिविल अभिकरणों की सक्रिय भूमिका की मांग की । यह सुझाव दिया गया है कि बाल विवाह के निवारण हेतु संपूर्ण तरीके से मुद्दे के निपटने के लिए उचित प्रणाली गठित की जाए ।

यह भी सिफारिश की गई है कि बाल विवाह की घटना को रोकने का एक तरीका विवाहों को रजिस्टर करना है । उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार⁷³ वाले मामले में यह मत व्यक्त किया कि विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण सही तरीके से होना चाहिए क्योंकि बाल विवाह अब भी देश के कई भागों में प्रचलित है । न्यायालय ने यह निदेश दिया कि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के कदम उन राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए अभी तक अधिनियम पारित नहीं किए हैं । आगे राज्यों से जनता से आक्षेप आमंत्रित करने और तारीख 19 दिसम्बर, 2007 के अपने आदेश के तीन मास के भीतर

⁷³ श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार, 2007(12) स्केल 578

समुदाय⁷⁴ पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों का विवाह रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य करने के लिए कहा गया ।

याची द्वारा उठाया गया तीसरा मुद्दा सभी विधानों में बालक के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुरूप “बालक” की एक समान परिभाषा नियत करना है । चूंकि विभिन्न और विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विभिन्न विधान अस्तित्व में आए इसलिए बालक की एक समान परिभाषा संभव नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ, मैथुन के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष की आयु से कम होगी क्योंकि 16 वर्ष की आयु से अधिक का सहमतिजन्य मैथुन काफी व्यापक और सामान्य है । इसी प्रकार, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 का उद्देश्य 14 वर्ष की आयु से कम आयु के बाल श्रम पर पूरी तरह रोक लगाना और उस आयु से अधिक को विनियमित करना है इसलिए बालक की परिभाषा इन उद्देश्यों से संगत है ।

प्रत्येक विधि “बालक” पद की अपनी ही परिभाषा का उपबंध करती है । कुछ विधि बालक को ऐसे व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो और कुछ कानूनों में बालक को 16 वर्ष से कम के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और अन्य कानूनों में यह 14 वर्ष है । ऐसे कुछ कानून इस प्रकार हैं :-

⁷⁴ उच्चतम न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, मिज़ोरम, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों ने विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए पहले ही विधियां अधिनियमित की हैं ।

1. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के अनुसार बालक ऐसा व्यक्ति है जो यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी न की हो और यदि स्त्री है तो 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।

2. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1986 में बालक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी न की हो और अवयस्क का अभिप्राय ऐसा व्यक्ति है जिसके 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो ।

3. भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1975 के अधीन किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर वयस्क समझा जाएगा ।

4. किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन बालक 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है ।

याचिका में यह आग्रह किया गया है कि बाल कल्याण और उनके अधिकार विषयक सभी कानूनों में “बालक” की एक समान परिभाषा होनी चाहिए । तथापि, इस समय बालक की एकसमान परिभाषा करना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न विधान भिन्न-भिन्न उद्देश्य और प्रयोजन पूरा करते हैं । प्रत्येक अधिनियम की परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि क्या बालक की परिभाषा न्यायोचित है । तथापि, जहां बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का संबंध है, हम महसूस करते हैं कि पूर्व विस्तृत चर्चा के अनुसार लड़कों और लड़कियों के बीच विवाह की भिन्न-भिन्न आयु रखने का कोई तार्किक आधार नहीं है ।

निष्कर्ष और सिफारिशें

अनेक अध्ययनों ने बाल विवाह के काफी अपहानिपूर्ण और भयावह प्रभावों को उजागर किया है। कतिपय आयु से नीचे की आयु का बाल विवाह खुल्लम-खुल्ला बाल दुरुपयोग है। भारतीय दण्ड संहिता 15 वर्ष की आयु से कम की आयु वाली अवयस्क पत्नी के साथ किसी मैथुन को बलात्संग मानता है। फुलमोनी⁷⁵ का मामला जिसने पिछली शताब्दी में बाल विवाह के विरुद्ध आम राय बनायी और सहमति की आयु बढ़ाने के लिए ऐसा मामला था जिसमें 11 वर्ष की एक लड़की की मृत्यु उसके पति, जिसने उसके साथ बलात् मैथुन किया था, द्वारा कारित योनि के फटने से रक्तस्राव के कारण हुई थी। तथापि, बाल विवाह की वर्तमान विधि भी फुलमोनी जैसी स्थिति के बारे में नहीं है। बाल दुलहन के अन्य तरीकों के अलावा यौन दुरुपयोग होने को रोकने का विधि में कोई उपबंध नहीं है। वस्तुतः, बाल विवाह अधिनियम किसी बाल विवाह को अविधिमान्य न करके ऐसे दुरुपयोग के लिए आधार प्रस्तुत करता है। अनुसंधान से आगे यह पता चला कि कैसे बाल दुलहनें गर्भ धारण से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त होने के लिए अधिक दायी है और कैसे बाल विवाह के मामलों में मातृत्व और शैशव मर्त्यता दोनों अधिक हैं। इसके अलावा बाल विवाह सभी लड़कियों को नैसर्गिक, स्वस्थ वातावरण में विकसित होने के उनके आधारभूत मानव अधिकारों से वंचित करता है। यह लड़कियों को उनके

⁷⁵ क्वींस इम्प्रेस बनाम हुरी मोहन मैथी XVIII इंडियन ला रिपोर्टर (कलकत्ता) 49(1891) ; सगादे, जया पूर्व टिप्पण 32

शिक्षा के अधिकार तथा मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास से वंचित करता है। यह लड़कियों को उनके वातावरण से अलग करता है और स्वतंत्रता, वाक् और संचरण के उनके मूल अधिकार का अतिलंघन करता है। लड़की के बनिस्बत बाल विवाह के सुज्ञात प्रतिकूल प्रभावों की उपेक्षा का अभिप्राय उस रीति की उपेक्षा करना होगा जिसमें बाल दुलहन जीवन का अनुभव करती है और इस तथ्य की वंचना के समान होगा कि लड़कियां मानव प्राणी हैं और प्राण के अधिकार समेत कतिपय मूल अधिकार रखती हैं। प्रतिकूल स्वास्थ्य परिणाम और कतिपय आयु से कम आयु की लड़कियों द्वारा झेली गई हिंसा ऐसे कारक हैं जो विवाह को अविधिमान्य न ठहराने के कतिपय “सामाजिक” विचारों पर भारी पड़ते हैं।

हम आगे यह महसूस करते हैं कि अवयस्क दुलहनों और अन्य अवयस्क लड़कियों के लिए मैथुन की सहमति के लिए भिन्न-भिन्न आयु अनुबंधित करने के लिए कोई तर्क नहीं है। सहमति की न्यूनतम आयु के पीछे तर्क यह है कि लड़की मैथुन के परिणामों को जानने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं है और यह तर्क अवयस्क दुलहनों और अन्य अवयस्क लड़कियों के लिए एक जैसा होगा। अतः हम निम्नलिखित सिफारिश करते हैं :

- i) कतिपय आयु अर्थात् 16 वर्ष से कम आयु के बाल विवाह को शून्य बनाया जाए। तथापि, विवाह के स्त्री पक्षकार को उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण के संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 4 में भरण-पोषण से संबंधित सभी धाराओं और बाल विवाह प्रतिषेध

अधिनियम, 2006 की धारा 5 और 6 में बाल अभिरक्षा और बच्चों की धर्मजता विषयक उपबंधों को शून्य विवाहों के मामलों को भी लागू किया जाए ।

ii) 16 और 18 की आयु के बीच के सभी विवाहों को किसी भी पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाया जाना चाहिए । धारा 4,5 और 6 में भरणपोषण, बाल अभिरक्षा और धर्मजता विषयक धाराओं को जैसा वे इस समय हैं, शून्यकरणीय विवाहों को लागू किया जाए ।

ii) परिणामतः बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) और 3(3) को उपरोक्त पैरा (i) और (ii) में रेखांकित परिवर्तनों को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाए और इस प्रकार पढ़ा जाए : -

“3(1)(i) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् अनुष्ठापित 16 वर्ष की आयु से कम कोई बाल विवाह अकृत और शून्य होगा और इसके किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध की गई याचिका पर अकृतता की डिक्री द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा ।

(ii) 16 और 18 वर्ष की आयु के बीच प्रत्येक बाल विवाह, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्

अनुष्ठापित हो, ऐसे बंधन में बंधने वाले पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा जो विवाह के समय बालक था । ”

धारा 3(3) को इस प्रकार संशोधित किया जाए :-

“ (3) धारा 3(1)(ii)के अधीन याचिका बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले व्यक्ति के 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किसी समय फाइल की जा सकेगी। ”

(iii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 के अधीन बलात्संग के अपवाद को हटाया जाए । यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लड़की चाहे विवाहित हो या नहीं, के लिए मैथुन की सहमति की आयु 16 वर्ष है । विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट ने सभी लड़कियों के लिए सहमति की आयु बढ़ाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की थी ।

(iv) सरकार द्वारा नियत अवधि के भीतर सभी समुदाय अर्थात् हिन्दू, मुस्लिम, इसाई आदि के विवाहों का रजिस्ट्रीकरण आज़ापक बनाया जाना चाहिए ।

(v) लड़का और लड़की दोनों के विवाह की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि यह भिन्न-भिन्न क्यों हो ।

परिणामतः बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा वर्तमान 2(क) को हटाया जाए और निम्नलिखित धारा 2(क) द्वारा प्रतिस्थपित किया जाए :-

“ (क) “बालक” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो । ”

(vi) हिन्दू विवाह अधिनियम जैसे अन्य अधिनियमों को भी यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया जाए कि उक्त अधिनियमों के उपबंध एक जैसे हों और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का खंडन न करते हों ।

डा. न्यायमूर्ति ए. आर. लक्ष्मणन
अध्यक्ष

डा. डी. पी. शर्मा
सदस्य सचिव

ग्रन्थ सूची

- एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इंडोनेशिया : इक्सप्लाइटेड एंड एब्यूज़ : दि प्लाइट आफ वूमेन डोमेस्टिक वर्कर्स (रिपोर्ट) ए आई इन्डेक्स : ए एस ए 21/001/2007, फरवरी, 2007
- आस्ट्रेलिया मैरेज ऐक्ट, 1961 के साथ 2006 के अधिनियम 46 तक संशोधन ।
- चटर्जी, ज्योत्सना नवम्बर 2006 को नई दिल्ली में भारत सोशल फोरम में बाल विवाह पर प्रस्तुत लेख ।
- न्यूजीलैण्ड का 1961 का क्राइम अधिनियम, <www.legislation.govt.nz> पर उपलब्ध ।
- बरुआ, ए. हीमैन आप्टे, प्रदीप कुमार, केयर एंड सपोर्ट आफ अनमैरीड एडोलसेन्ट गर्ल्स इन राजस्थान, इकोनामिक एंड पालीटिकल वीकली, जिल्द XLII सं. 44, नवम्बर 3-9, 2007
- ब्लैक, मैगी, अलर्जी मैरिज, चाइल्ड इस्पाउज, यूनीसेफ इन्नोसेन्टी रिसर्च सेन्टर डापइजेस्ट सं. 7 (2001)
- कैलीफोर्निया फेमिली कोड <www.Leginfo.ca.gov/>
- सीडा मिश्र देश रिपोर्ट (30 मार्च, 2000)

- सीडा, सामान्य सिफारिश 21, यू एन जी ए ओ आर, 1994, डाक सं. ए/47/38
- सीडा इन्डोनेशिया देश रिपोर्ट 27 जुलाई, 2005)
- सीडा पाकिस्तान देश रिपोर्ट (2005)
- <www.census.india.gov.in/7> पर उपलब्ध भारत की जनगणना
- कार्नेल विश्वविद्यालय ला स्कूल, लीगल इन्फोर्मेशन इन्स्टीट्यूट (एल आई आई) <www.law.cornell.edu>
- इन्टरनेशनल सेन्टर फार रिसर्च आन वूमेन (आई सी डब्ल्यू आर) याइल्ड मैरेज, ला एंड सिविल सोसायटी एक्शन (2006) वाशिंगटन डी सी ।
- इन्टरनेशनल सेन्टर फार रिसर्च आन वूमेन, पालिसी एडवाइसरी आन चाइल्ड मैरेज, <www.icrw.org/docs/childmarriage.0803.pdf>
- इन्टरनेशनल सेन्टर फार रिसर्च आन वूमेन, टू यंग टू बेड : एजुकेशन एण्ड एक्शन टूवर्ड इन्डिंग चाइल्ड मैरिज (2005) वाशिंगटन, डी. सी. ।
- इन्टरनेशनल कावेनेन्ट आन सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स <www2.ohchr.org/English/law/ccpr.htm> वेबसाइट पर

यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिशनर फार ह्यूमन राइट्स के कार्यालय में उपलब्ध ।

- इन्टरनेशनल कावेनेन्ट आन इकोनामिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स <www2.ohchr.org/English/law/cescr.htm> वेबसाइट पर यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिशनर फार ह्यूमन राइट्स के कार्यालय में उपलब्ध ।
- मैरेज ऐक्ट, 1949, हाल्सबरी लाज आफ इंग्लैण्ड, 4वां संस्करण रिड्सू जिल्ड 29(3) ।
- मैरेज ऐक्ट, 1955, न्यूजीलैण्ड <www.legislation.govt.42> पर उपलब्ध ।
- माथुर एस., एम. ग्रीने और ए. मल्होत्रा, टू यंग टू बेड : दिलस्ब्स, राइट्स एंड हेल्थ आफ यंग मैरीड गर्ल्स : आई सी आर डब्ल्यू वाशिंगटन डी. सी. (2003)
- मेन्सच, बारबरा एस., जूडिथ ब्रूस और माग्रेट एस. ग्रीन, दि अनचार्टर्ड पेसेज : गर्ल्स एडोलेसेन्स इन दि डेवेलपिंग वर्ल्ड्स, दि पापुलेशन काउन्सिल (1998), न्यूयार्क ।
- मिश्र, सोरभ और सर्वेश सिंह, मैरीटल रेप - मायथ रियल्टी एंड नीड फार क्रिमिनलाइजेशन (2003) प्रैक्टिकल लायर वेब जर्नल 12 <www.ebc-india.com/lawyer/articles/645.htm>

- नारायण, चित्र हेवेन दि इस्पाउज टर्नस एवूशिब, दि हिन्दू (मेट्रो प्लस चेन्नई) जून 03, 2006
- राष्ट्रीय महिला आयोग वेबसाइट <<http://ncw.nic.in/>>
- राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो वेबसाइट <<http://ncrb.nic.in>>
- राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण वेबसाइट <<http://www.nfhsindia.org/>>
- राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 1998-99 (एन एफ एच एस-2)
- राष्ट्रीय कुटुम्ब स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-2006 (एन एफ एच एस-3)
- ओट्टो ओयोर्टी, नाना एंड सोनीता पोबी, अर्ली मैरिज एंड पावर्टी : इक्सप्लोरिंग लिंक्स फार पालिसी एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट, दि फोरम आन मैरिज एंड दि राइट्स आफ वूमेन एंड गर्ल्स, लन्दन, 2003.
- क्वात्रा, एम. पी. सेन और एम. थामसन, फोर्सड मैरिज, फोर्सड सेक्स : दि पेरिल्स ऑफ चाइल्डहुड फार गर्ल्स, (1998)
- राज्य सभा बाल विवाह निवारण विधेयक, 2004 पर तेरहवीं रिपोर्ट, नई दिल्ली (29 नवम्बर, 2005 को राज्य सभा में प्रस्तुत, 29 नवम्बर, 2005 को लोक सभा के पटल पर रखा गया), नई दिल्ली, नवम्बर, 2005, अग्रहायण, 1927 (शक)
- राम एफ., आर. के. सिन्हा, एस. के. मोहन्ती एल, 2006. मैरिज एंड मदरहुड : एन इक्सप्लोरेट्री स्टडी आफ दि सोशल एंड रिप्रोडाक्टिव

हेल्थ स्टेट्स आफ मैरीड यंग वूमेन इन गुजरात एंड पश्चिमी बंगाल,
भारत, नई दिल्ली, जनसंख्या परिषद् ।

- सगाडे, जया, चाइल्ड मैरेज इन इंडिया, सआक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी
प्रेस, 2005
- सन्ध्या के. जी. और सिरीन जे. जजीभोय पेपर : यंग पीपुल्स
सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया : पालिसी, प्रोग्राम एंड
रियल्टी, पापुलेशन काउन्सिल रीजनल वर्किंग पेपर सं. 19 नई
दिल्ली 2007
- सेथूरमन, कविता और नाता दुवारु, दि नेक्सस सऑफ जेन्डर
डिस्क्रीमिनेशन विद माल्न्यूट्रीशन : एन इन्ट्रोडक्शन, इकोनामिक
एंड पोलिटिकल वीकली जिल्द XLII सं. 44 नवम्बर, 3-9, 2007
- सिंह, कीर्ति एंड दिविया कपूर, ला सविधि, हिंसा और बाल विवाह,
स्वास्थ्य और मानव अधिकार, एक अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जिल्द 5 सं.
2, 2001
- सोमरसेट कौरन, अर्ली मैरेज : हूज राइट टू चूज़? फोरम आन मैरेज
एंड दि राइट्स आफ वूमेन एंड चिल्ड्रेन, लन्दन (2000)
- मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा, 1948 <[www.44.org/
overview/rights.html](http://www.44.org/overview/rights.html)> यूनाइटेड नेशन्स वेबसाइट पर उपलब्ध

- यू. एन. चिल्ड्रेन फंड (यूनीसेफ) अर्ली मैरेज : ए हार्मफुल ट्रेडीशनल प्रैक्टिस यूनीसेफ : फ्लोरेन्स (2005)
- यू. एन. एफ. पी. ए., चाइल्ड मैरेज एडोकेसी प्रोग्राम : फैक्ट शीट आन चाइल्ड मैरेज एंड अर्ली यूनियन (2004)
- यूनीसेफ आधारित वेबसाइट : <www.childinfo.org/areas/childmarriage/>
- यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फंड, दि स्टेट आफ दि ब्लडर्स चिल्ड्रेन 2007 : वूमन एंड चिल्ड्रेन, दि डबुल डिविडेन्ड आफ जेन्डर ठक्वालिटी, यूनीसेफ, न्यूयार्क, 2006
- यू. एन. पापुलेशन डिवीजन, वर्ल्ड मैरेज पैटर्नस, डिपार्टमेन्ट आफ इकोनामिक एंड सोशल अफेयर्स, वाशिंगटन (2000)

मामलों की सूची

- दुर्गा बाई बनाम केदारमल शर्मा, 1980 (जिल्द VI) एच. एल. आर. 166
- एम्परर बनाम फुलाभी भूलाभई जोशी और अन्य, ए. आई. आर. 1940 बोम्बे 363
- कोंडेपुडी श्रीराममूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य, ए. आई. आर. 1960 आंध्र प्रदेश 302
- खुशालचंद जानकी प्रसाद बनाम शंकर पांडे गया प्रसाद, ए. आई. आर. 1963 मध्य प्रदेश 126
- मनीश सिंह बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार और अन्य, 2006(1) एच. एल. आर. 303
- मुसम्मात जलसी कौर और अन्य बनाम एम्परर, ए. आई. आर. 1933 पटना 471
- नीतू सिंह बनाम राज्य और अन्य, 1999 (1) जिल्द 39 एच. एल. आर. 466
- क्वींस एम्प्रेस बनाम हुरी मोहन मैथी XVIII इंडियन ला रिपोर्टर (कलकत्ता) 49 (1891)
- रवीन्द्र प्रसाद बनाम सीता दास, ए. आई. आर. 1986 पटना 128
- रवि कुमार बनाम राज्य और एक अन्य, मनु/डे/1497/2005

- शंकरप्पा बनाम सुशीलबाई, ए. आई. आर. 1984 कर 112
- शेख हैदर शेख रहीमो अत्तर मुसलमान बनाम सैयद ईसा सैयद रहमान मुसलमान और अन्य, ए. आई. आर. 1938 नागपुर 235
- श्रीमती लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण और अन्य, 1978 एस. सी. सी. (3) 258
- श्रीमती सीमा बनाम अश्वनी कुमार, 2007(12) स्केल 578
- विलियम रिबेलो बनाम अंगेलो वाज़, ए. आई. आर. 1996 बोम्बे 204